IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के विविध आयाम

Subhas Chandra Samant

शोधार्थी

हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। कोविड–19 जैसे महामारी के दौर में भी हम ये उत्सव मना रहे हैं, हमें ये उत्सव मनाना भी चाहिए क्योंकि इस आजादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकायी है। आजादी के इस लम्बे अरसे में भारतीय लोकतंत्र ने एक लम्बी दूरी तय की है। आजादी के इस दौर में हमने लोकतंत्रिक मूल्यों में बहुत–से उतार–चढ़ाव देखें हैं। लोकतंत्र की अनेक त्रुटियों और सुधारों के साथ हमारी यह संघर्ष यात्रा सहज रूप से सतत जारी है, भारत की इस लम्बी संघर्ष यात्रा में हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत और स्वावलंबी भारत के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर हैं? इस पर विचार करने और 21वीं सदी के भारत का स्वरूप कैसा हो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने 75 वर्षों के सफर में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा, यह देखने के लिए इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धियों, देश का विकास, सामाजिक–आर्थिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की जरूरत है। भारत का लोकतंत्र बहुलवाद पर आधारित है और यहाँ की विविधता ही इसकी खूबसूरती है।

हिन्दुस्तान की आजादी के 75 सालों के दौरान यह सवाल बार–बार उठाया जाता रहा कि इस देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया या संस्थाएं कितने दिनों तक काम कर पाएंगी? हरेक प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद ये आशंका जताई जाती रही कि अब लोकतांत्रिक शासन की जगह सैनिक शासन ले लेगा। हरेक अलगाववादी आंदोलन के जन्म लेने के बाद ये आशंका व्यक्त की जाती रही कि क्या हिन्दुस्तान एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रह पायेगा? राजनीति विज्ञानियों के लिए भी यह एक पहेली ही था जिनके मुताबिक सांस्कृतिक विविधता और भयानक गरीबी किसी देश को एक राष्ट्र के रूप में तब्दील नहीं कर सकती, कम से कम लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं। इन तमाम आशंकाओं को झूठलाते हुए वर्त्तमान में भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो ब्रिटिश और अमेरिकी मॉडल का उल्लेख किया जाता है, लेकिन भारत का लोकतंत्र भी दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश करता है जो अपने–आप में अनूठा है। भारत ने अपने अंदर विशाल जनसंख्या, बहुल संस्कृति और जातीय व्यवस्था को समाहित किए हुए है, इतनी विविधता के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने स्थायी रूप से अपनी एकता और अखण्ड़ता को स्थापित किया है। इसके तुलना में दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र भारत जितना परिपक्व नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में सैनिक तख्तापलट होते रहा है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत और स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय भारतीय संविधान को जाता है, जो भारत के लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को उचित स्थान देने में सफल रहा है। पिछले 75 सालों में देश ने प्रगति की है, काफी विकास किया है,

देशवासियों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। सभी धर्मो, जातियों और विभिन्न वर्गो के लोग एक ही समाज में एक साथ रहते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने कामयाबी हासिल की है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया की छठी बड़ी शक्ति हैं। आज हमारे पास विदेशी

मुद्रा का विशाल भंडार है, लेकिन किसी लोकतंत्र की सफलता को आंकने के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास हुआ है, लेकिन देखना होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ। सामाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। दरअसल, किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या–क्या प्रयास हुए हैं।1 लोकतंत्र में प्रभुसत्ता लोगों के हाथों में होती है। इसलिए जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही शासक होती है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति समान रूप से करना है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति या वर्ग विशेष के कल्याण के लिए प्रशासन नहीं चलाया जाता है, बल्कि सम्पूर्ण जनता के कल्याण के लिए प्रयास किए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन का मुख्य आधार समानता है, इसका मतलब केवल राजनीतिक समानता नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, रंग और संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है बल्कि सभी को विकसित होने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये, जाते हैं। लोकतंत्र की मुख्य शक्ति स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है, जितनी स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र में प्राप्त हो सकती है, उतनी स्वतंत्रता किसी अन्य शासन व्यवस्था में प्राप्त नहीं होती है।

लोकतंत्र को हम आज जिस रूप में देश रहे हैं, वह लम्बे समय से तमाम तरह के अनुभवों और प्रयोगों के बाद यहाँ तक पहुँचा है। प्राचीन यूनान में ईसा से पहले लोकतांत्रिक राजनीति के अनक पहलू व्यवहार में प्रचलित थे, भले ही उनमें अल्प संख्या में पुरूष ही भाग लेते थे और महिलाएँ तथा दास इस प्रचलन से बाहर थे।

2000 साल से ज्यादा पहले भारत, पर्सिया और बैक्ट्रिया जैसे देशों में भी स्थानीय लोकतांत्रिक शासन के

छिटपुट प्रयास किए जा रहे थे। जापान में सन् 604 में बौद्ध राजकुमार शोटुकू ने 'सत्रह अनुच्छेदों बाला संविधान' लागू किया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया था कि सरकार के फैसले व्यापक विचार–विमर्श के बाद किए जाएँ। सदियों से दुनिया–भर में सर्वसम्मति से फैसले करने जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सीमित उपयोग किया जाता रहा हैं। बहराहाल, लोकतंत्र को अपने वर्त्तमान स्वरूप तक आने में लम्बा समय लगा और इस बीच कई घटनाओं ने इसमें अपनी भूमिका निभाई, जिनमें 1215 में इंग्लैण्ड में 'मैग्नाकार्टा' की घोषणा से लेकर 18 वीं सदी में फ्रांस तथा अमेरिका में हुई क्रांतियाँ जिसने 19वीं–20वीं सदी के मध्य में जाकर ठोस रूप लिया, जिसे यूरोप, अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका में लागू किया गया। लोकतंत्र का विकास और प्रसार निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।2 लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। चुनावी सुधारों पर होनेवाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुददा है। राजनीति का अपराधीकरण–'अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना' हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया है। चुनावी विश्लेषण संख्या 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ए डो आर) के अनुसार 17वीं लोकसभा के लिए चुनकर संसद पहुँचने वाले 542 सांसदों में से 233 यानी 43 फीसदी सांसद दागी छवि के हैं। इन सांसदों के खिलाफ 159 यानी 29 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर मामले लंबित हैं। 2014 के चुनाव मे निर्वाचित आपराधिक छवि के सांसदों की संख्या 185 यानी 34 प्रतिशत थी, 112 सांसदो पर गंभीर केस चल रहे थे।3

भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि देश में राजनीतिक दलों का संचालन किन दिशा–निर्देशों के अनुसार हो और उनका नियमन कैसे किया जाना चाहिए बल्कि सच तो यह है कि हमारे संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख भी नहीं है, केवल 1951 के जन–प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 (A) में

ये लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाना चाहिए। भारत में चुनाव आयोग भी राजनीतिक दलों के संचालन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त नहीं है।

राजनीतिक दल ही भारत की लोकतंत्र के प्रमुख किरदार हैं। ऐसे में भारत में लोकतंत्र की मजबूती और उसकी बेहतरी मूलरूप से राजनीतिक दलों के अंदरूनी लोकतांत्रिक व्यवहार पर ही निर्भर है पर राजनीतिक दलों के भीतर नेतृत्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया न तो पारदर्शी है और न ही समावेशी है। इससे भारत के सभी नागरिकों के समान राजनीतिक अवसर प्राप्त करने के अधिकारों का हनन होता है। पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र न होने से सभी नागरिकों के पास इस बात का अवसर समान रूप से नहीं होता कि वे राजनीति में भागीदारी करें और चुनाव लड़ सकें।4 चुनाव पूर्व भारी मात्रा में रूपयों की बरामदगी भारतीय राजनीति की अब एक परम्परा बन गयी है, अभी इसका ताजा उदाहरण उत्तर–प्रदेश में होनेवाली घटनाक्रम है। राजनीतिक भ्रष्टाचार से चिंतित लोगों को चाहिए कि वे इस रूपक के आइने में अपने लोकतंत्र की विकृत होती हुई तस्वीर पर भी एक नजर डालें। जब हम विभिन्न दलों के उम्मीदवारों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि टिकट प्राप्त करने वालों की सूची में कीमती विदेशी कारों के मालिकों, आयातित मंहगी रायफलों के मालिक, अरबी घोड़ों के अस्तबल रखने वाले, बड़े–बड़े होटलों और सैरगाहों के मालिक, दुर्लभ चिड़ियों का व्यापार करने में करोड़ो का खर्च करने वाले, आधुनिक जमींदार यानी पूंजीपति किसान, मंझोले स्तर के उद्योगपति, पेट्रोल पंपों के मालिकों, ट्रको और बसों का धंधा करने वालों और करोड़ो की ठेकेदारी करने वालों के नाम मिलेंगे। वे दिन हवा हो चुके हैं जब कमजोर तबकों की नुमाइंदगी करने वाले दलों के उम्मीदवार गरीब तबके से आते थे। वे दिन भी कहीं गुम हो चुके है जब पिछड़ों को राजनीतिकरण करने वाले राम मनोहन ने दावा किया था कि 'रानी के खिलाफ मेहतरानी' को चुनाव लड़वा सकते हैं। बेंकवर्ड हों, दलित हों या ब्राह्मण–ठाकुर– बनिए या मुसलमान–ईसाई–सिख सबके सब अगर राजनीति में हैं जो निरपवाद रूप से धन पशुओं की श्रेणी में आते हैं।

राजनीति में गरीब, मध्यम वर्गीय या सामान्य रूप से सबसे बेबस कोई है तो वह मतदाता ही है। वह मतदाता जो चुनाव लड़ने के स्तर तक कभी पहुंच नही सकता। व्यापारी–राजनेता का मॉडल भारतीय लाकतंत्र में अपनी कदम जमा चुका है। यह मॉडल किसी व्यापारी का मुनाफा बढ़ाने के लिए कितना भी मुफीद हो, राजनीति के लिए पूरी तरह से हानिकारक है, राजनीति जनसेवा का क्षेत्र है, स्वंयसेवा का नहीं।5 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ए डी आर) की रिपोर्ट के मुताबिक 17 वीं लोकसभा के लिए चुने गये सांसदों की औसत संपत्ति 20.93 करोड़ रूपये आंकी गयी है। इस लोकसभा में 88 प्रतिशत नवनिर्वाचित सांसद करोड़पति हैं। 2009 में यह ऑकड़ा 58 प्रतिशत था।6

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों तथा लोकतंत्र संबंधी मसलों पर चुप्पी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवन्तता के एकदम विपरीत है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है कश्मीर तथा उत्तर–पूर्व के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 यानी 'आफ्सपा' के अंतर्गत फौज को दिए गए निरंकुश अधिकार। यह औपनिवेशिक शासन के अधिनायकवादी दिनों में अंग्रेजों द्वारा 1942 में लागू किए गए 'सैनय बल' (विशेष अधिकार) कानून को पुर्नजीवित करने जैसा ही है। इन अधिकारों में देखते ही गोली मार देने के अलावा बिना वारंट गिरफ्तारी करने के अधिकार तो शामिल हैं ही, मानवाधिकार के उल्लघंन पर मुकदमें से बचाव की भी गारंटी है। इन अधिकारों को प्रायः बेहद हिंसक तौर पर उपयोग किया गया है, जिसने टकराव को खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ाया है।7 अभी हाल ही में दिसम्बर 2021 को नागालैण्ड में सुरक्षा बलों के द्वारा 14 नागरिकों को कथित रूप से गोलियों से भून दिए जाने के बाद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून 1958 को पूर्वोत्तर से वापस लेने की मांग एक बार फिर से तेज हो गयी है। पूर्वोत्तर के नागरिक संगठनों, मानवाधिकार कार्यकत्ताओं व नेताओं ने वर्षों पुराने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा बल इस कानून में उन्हें मिली छूट का इस्तेमाल कर अत्याचार करते हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सौभाग्य से भारत में चुनाव सुधारों और लोकतांत्रिक सुधारों पर जीवन्त सार्वजनिक बहस और कार्यवाही निरंतर जारी है। सूचना के अधिकार (2005) जैसे बड़े कदम उठाए जाते रहे हैं, जिसने भारत के सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रबुद्ध भागीदारी की संभावना पैदा कर दी है। परंतु अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर संसद से उचित कार्रवाई न होने के कारण कुछ खामियों को ठीक करने के लिए अक्सर सर्वोच्च न्यायलय को दखल देना पड़ता है। मतपत्र में नोटा का विकल्प, कम से कम दो साल का सजा पाये प्रतिनिधियों को तुरंत पद से हटाने, उम्मीदवारों को अपना अपराधिक रिकॉर्ड बताने जैसे अनेक प्रावधान सर्वोच्च न्यायलय के जनहित से जुड़े फैसलों के बाद लागू हो सके हैं। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने की जनइच्छा अब भी आदालतों में लंबित है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर पारदर्शिता की घोर कमी है। इस संबंध में संसद का इरादा भी संदिग्ध रहा है। अपनी पारदर्शिता के खिलाफ सभी दलों के बीच अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली, इसका उदाहरण राजनीति चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। यह कानून चंदा देने और लेने वालों की पहचान जानना असंभव बना देता है तथा इसमें पारदर्शिता कहीं नहीं है।8

आरोप–प्रत्यारोप राजनीतिक बहस के साधन हैं, पक्ष–विपक्ष की कमजोरियों पर वार करना भी गलत नहीं है पर राजनीतिक मूल्यों का तकाजा है कि मर्यादाहीनता से बचा जाए, पर हमारे राजनेताओं को मर्यादा का ध्यान रखने की शायद जरूरत ही महसूस नहीं होती। राष्ट्रहित की यह माँग है कि हमारे नेताओं को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है। उनका आचरण मर्यादाओं के पालन का उदाहरण होना चाहिए। दुर्भाग्य से मर्यादाहीनता हमारी राजनीति की पहचान बनती जा रही है। कब हमारा नेतृत्व लच्छेदार भाषा के लोभ से मुक्त होगा। कब उसे यह अहसास होगा कि संकीर्ण भाषा और विचार राष्ट्र की पहचान और गरिमा को भी धूमिल करते हैं। प्रजातंत्र में सरकार पर सार्थक दवाब डालने के लिए उसकी आलोचना जरूरी

है लेकिन कई संकट ऐसे होते है, जिनमें समाज, संस्थाओं, संगठनों और सरकार को साथ मिलकर चलना होता है। यह समय है कि सरकार के गलत फैसलों की आलोचना करते हुए उसके अच्छे प्रयासों का समर्थन भी करना होगा।

वर्तमान में लगभग सभी राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की घोर कमी है। प्रायः सभी राजनीतिक दल (एक–दो दलों को छोड़कर) महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की हिमायती हैं, परंतु दलों के अंदर महिलाओं की विभिन्न पदों पर भागीदारी देखकर इनके वास्तविक मंसूबों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। लोकतांत्रिक सुधारों के कई महत्वपूर्ण पहलूओं पर अभी बहस और सुधार होना बाकी है। जैसे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विशेषकर दलों के अंदर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी की सुनिश्चितता, जनप्रतिनिधियों को वासप बुलाने का अधिकार, कानून बनाने से पहले विचार–विमर्श की प्रक्रिया, मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता और व्यापक स्तर पर धन–बल के दुरूपयोग को रोकने जैसे नीतियों को प्रोत्साहन देने होंगें। भारत के मीडिया को इस संदर्भ में अपनी रचनात्मक भूमिका निभानी होगी जिसमें पेड न्यूज प्रकृति को रोकने के प्रयासों को अहमियत देना होगा। आगे चलकर ये सभी बदलाव लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार और प्रभाव में काफी वृद्धि कर सकते हैं। चुनाव के पूर्व दल–बदल करना भारतीय राजनीति का स्थाई चरित्र बन गया है, ऐसे नेताओं और पार्टियों के आचरण लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए संसद यह कानून बनाये कि चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 महीने तक किसी राजनोतिक दल का सदस्य होना अनिर्वाय हो। दलों के ऐसे घोषणाओं पर जो केवल लोकलुभावन हैं जिससे देश की आधारभूत संरचना और विकास में कोई बदलाव नहीं होता है रोक लगाने के उपाय होने चाहिए। इसके लिए कए ऐसी स्वायत्त संस्था का गठन हो जो चुनाव से छः महोने पूर्व उस क्षेत्र का अध्ययन कर वहाँ की परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार एक रिपोर्ट जारी करे और उसी रिपोर्ट के आधार पर दल अपनी मेनीफेस्टो जारी करेंगी और इस पूरे प्रक्रिया का मॉनिटरिंग भी इस संस्था के अधिन होगा और इसके उल्लेघंन पर उचित कार्रवाई को

शक्ति भी इसे प्राप्त हो।

अनेक बार कोई पार्टी जो अन्य किसी पार्टी के खिलाफ हर स्तर पर एक–दूसरे का विरोध करते हुए चुनाव लड़ती है, चुनाव नतीजों के बाद उसी पार्टी के साथ सरकार बना लेती है। हमारे लोकतंत्र में विचारधारा, नीति और सिद्धांत का स्थान घटता जा रहा है, अब कुर्सी ही परम शाश्वत बन गया है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन चिंता तब और बढ़ जाती है जब सत्ता के लिए हर काली करतूत को सफेद बताने वाला यह राजनीतिक वर्ग ऐसे कदमों का भी औचित्य नैतिक आधार बताता है। राजनीतिक वर्ग को यह सहज लगता है कि वह जन विमर्श को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और अन्य छोटी–छोटी बातों में उलझा दे ताकि वास्तविक लोक–कल्याण के सवाल न पूछे जाएं। हमारे देश में दो तरह की राजनीति निरंतर चलते रहती है–विभाजन की राजनीति और एकता की राजनीति। राजनीतिज्ञ वोट बटोरने के चक्कर में मतदाताओं को दिनों दिन और छोटे समूहों में बाँटते जा रहे हैं–जाति, भाषा, धर्म और किसी विशिष्ट सांस्कृतिक या सामाजिक पहचान के नाम पर और इन सब के लिए हिंसा का रास्ता चुनना हमारी राजनीति में एक नयी गिरावट का प्रतीक है।9

भारत देश के पास आज वह सबकुछ है जिसस देश की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन किसी एक समस्या का भी निदान पूर्णतः नहीं हो पाता है। गरीबी, अशिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्या, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, वर्गवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार आदि ये सभी समस्याएं एक–दूसरे के पूरक हैं। इन समस्याओं में से केन्द्र और राज्य की सरकारें केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी पर पूरी ईमानदारी, निष्ठा और बिना पक्षपात के तथा सत्ता के लालच को छोड़कर काम करें तो इन आधी से अधिक समस्याओं का निदान आसानी से हो जाएगा।

भारत के पास विषय विशेषज्ञ हैं और तकनीकी भी है, लेकिन सही रणनीति और क्रियान्वयन का अभाव है। यह सब तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम जागरूक होकर

पूरी जिम्मेवारी के साथ अव्यवस्था के खिलाफ सवाल नहीं खड़ा करेगें। देश में लोकतंत्र है, देश हमारा है, सर्वोच्च संविधान हमारा है, राजनीति हमारी है, फिर यह सब क्यों?

संदर्भ

1. https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-themonth/how-successful-democracy-in-india, 07/01/2022, 7:00 PM को लिया गया

2. ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन, 2020 (पाँचवा संस्करण), भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ट संख्या–244

3. https://www.livehindustan.com/ national/ story-adr -report-43-percent- mps-in-parliament-this-time- and-88- percent- millionaires

2546517.html, 24/01/2022. 11:05 PM को लिया गया

4. https://www.orfonline.org/hindi/research/establish-democracy- within-

Political- porties-in-india, 20/01/2022, 1:10 PM को लिया गया

5. दैनिक भास्कर (राँची संस्करण), 04/01/2022

6. https://www.livehindustan.com, पूर्वोक्त

7. ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या–248

8. प्रभात खबर (राँची संस्करण), 18/01/2022

9. शशि थरूर, 2018, मैं हिन्दू क्यों हूँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ट संख्या–221